an>

Title: Need to extend lease of land for civil area of Sagar Cantt. in Sagar, Madhya Pradesh.

श्री लक्ष्मी नारायण यादव (सागर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत सागर कैंट आता है। वहाँ सिविल एरिया के अलावा कृषि भूमि भी है। यही स्थिति देश के सभी 62 कैंट क्षेत्रों की है। यहाँ कैंट प्रशासन से लीज लेकर 100 वर्षों से भी अधिक अवधि से नागरिक रह रहे हैं। अब यह लीज समाप्त हो चुकी है। यहाँ हजारों की संख्या में नागरिक निवास करते हैं। इस लीज के नवीकरण के लिए यहाँ के निवासियों ने भिन्न-भिन्न अधिकारियों के समक्ष अपने आवेदन दिए हैं। उनका अभी तक फैसला नहीं हुआ है। वहाँ झोपड़ियों में निवास करने वाले नागरिक भी हैं। इन निवासियों ने भी अपने आवेदन जमा किए हैं तथा पट्टा देने की माँग की है। अधिकारियों द्वारा कार्रवाई न किए जाने के कारण ये सब लोग अनाधिकृत रूप से निवास करने वालों की श्रेणी में आ गए हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के नियमों की व्याख्या करते हुए पंचमढ़ी कैंट बोर्ड के लिए प्रसारित आदेश को आधार मानकर, यहाँ वर्षों से निवास कर रहे इस श्रेणी के नागरिकों को अतिक्रमणधारी निर्माता बताकर, वोटर लिस्ट से उनका नाम काटने की तैयारी की जा रही है। देश भर की छावनी परिषदों द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। इससे यहाँ की लगभग 85 प्रतिशत आबादी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा तथा उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा।

महोदया, मेरा शासन से अनुरोध है कि वह नियमों में इस प्रकार का परिवर्तन करे जिससे कि इस समस्या का निदान हो सके। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री उदय प्रताप सिंह एवं श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री लक्ष्मी नारायण यादव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

प्रो. सौगत राय जी।